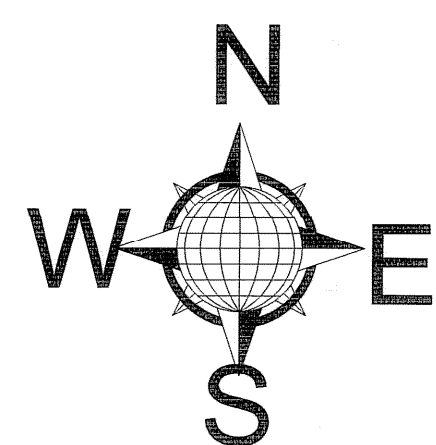
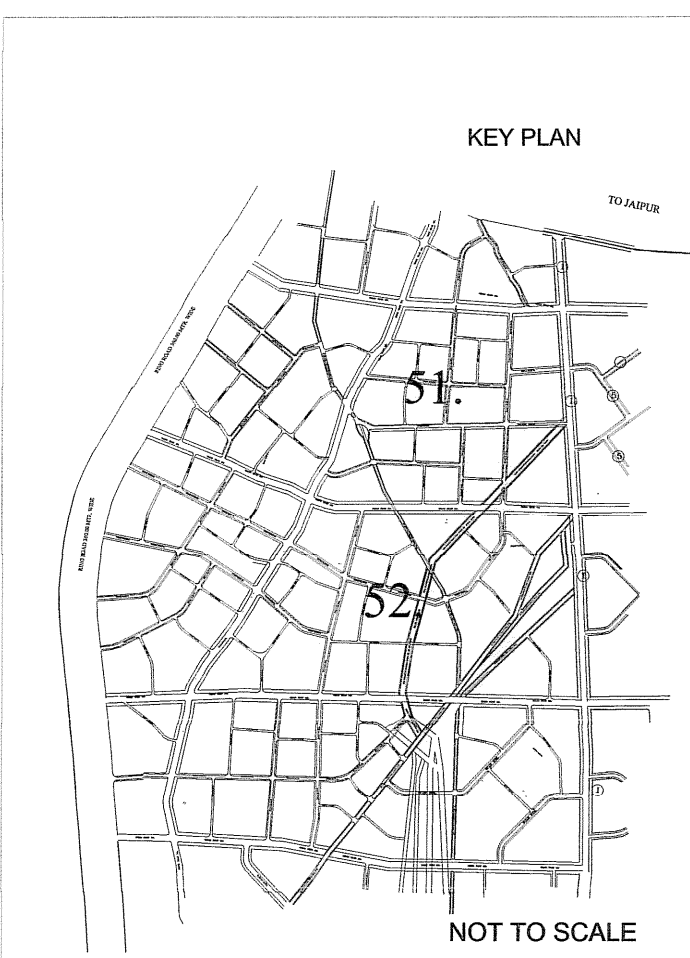


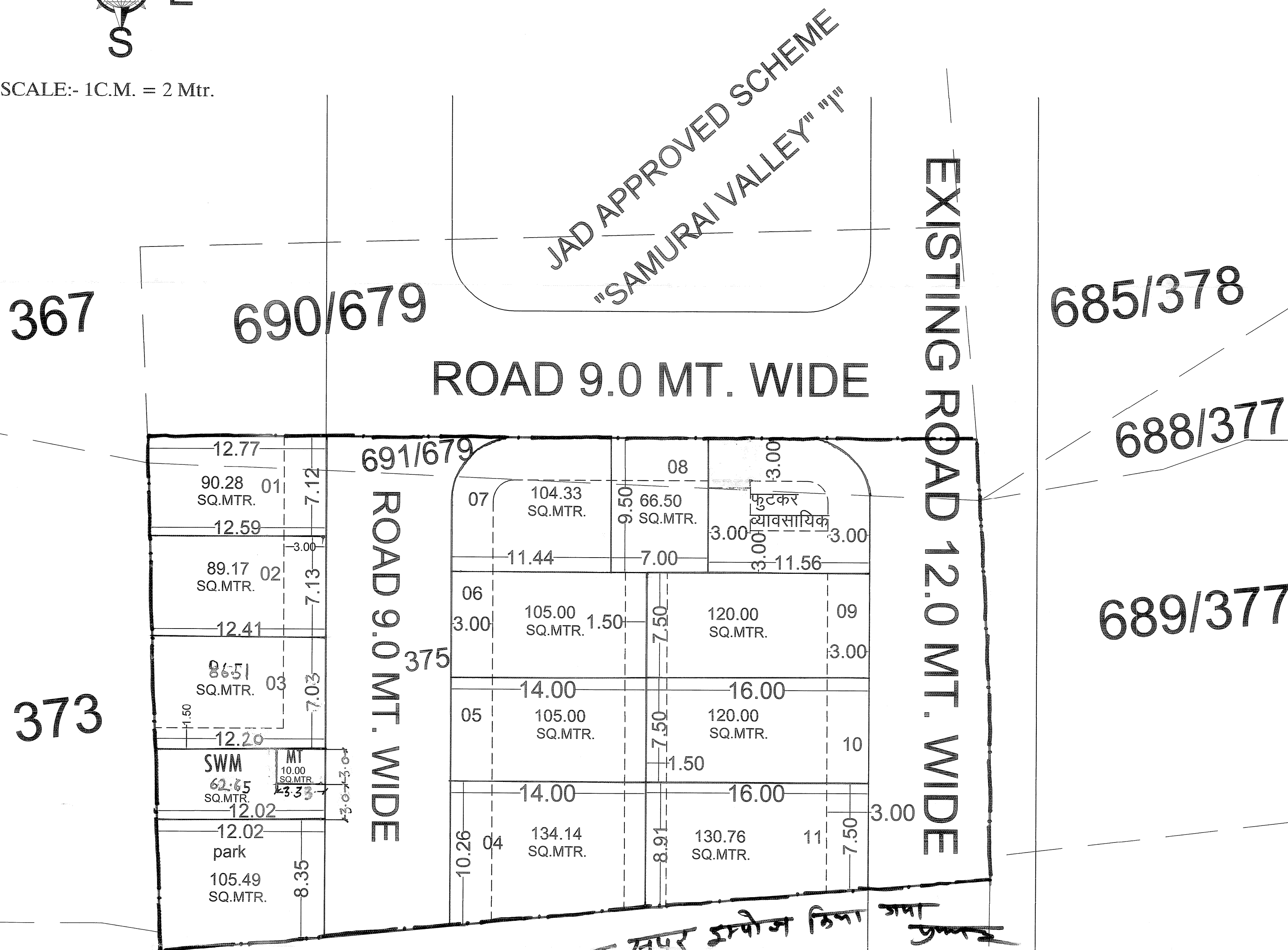
PROPOSED LAYOUT PLAN OF "SAMURAI VALLEY EXTN."
AT VILLAGE :- MANDAU, TEH.:- SANGANER, JAIPUR.



SCALE:- 1C.M. = 2 Mtr.



NOT TO SCALE



मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- आवासीय व्यावसायिक
- पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
 - चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
 - खाली भूखण्ड 11

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	आवासीय	1151.68	54.85 %
2	फुटकर व्यावसायिक	105.47	5.02%
3	कचरा निस्तारण केन्द्र	62.65	2.98%
4	टेलीकॉम टॉवर	10.00	0.48%
5	PARK	105.49	5.02%
6			
7	सड़क	664.71	31.65%
8			
9			
10			
11			
कुल योजना क्षेत्र		2100.00	100.00%

योजना की भूसी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जौन:-

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

ZONE NO. 11 SECTOR NO.51

SCALE 1= DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

NAME OF SCHEME :- "SAMURAI VALLEY EXTN."
VILLAGE :- MANDAU
TEH. :- SANGANER

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

- सी.(एल.पी.) की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में लिया गया:-
- योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 90ए का निर्णय दिनांक 28.07.2023 को पारित किया गया है।
 - योजना की भूमि रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमापीकरण पट्टावली द्वारा किया गया है।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित खसरों का नामानाकरण जविप्रा के नाम दर्ज है।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना में फुटकर व्यावसायिक ब्लॉक के भूखण्ड की प्लानिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी सूखे, नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार रखा जाकर भूखण्ड का पृथक से सक्षम स्तर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जावेगा।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य राशि का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2610 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर भवन-मानदण्ड भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे गये हैं।
 - बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण से संबंधित समस्त लेख जारी किया गया बी.एस. यू.पी./विकास शुल्क / पुनर्गठन आदि (जो भी लेवे हो) का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
 - बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अंतरिक विकास कार्य की एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड ज.वि.प्रा. में रखा रखे गये हैं :-
भूखण्ड संख्या 8.9 कुल 2 क्षेत्रफल 106.50 वर्गमीटर रतन रखे गये हैं जिनका अंकन मानचित्र पर कर दिया गया है।

तहसीलदार जौन-11
उप नगर निवाजक जौन-11
उपयुक्त जौन-11
अति. मुख्य नगर निवाजक
बी.पी.सी.(एल.पी.)